


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 16/2025 बउनवानी तुलसी देवी बनाम तहसीलदार बौली
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम व पोस्ट मलारना डूंगर
GCMS No-2025/85

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
27.3.2025		<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.01.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर <u>“ ग्राम राठोद तहसील बौली के विरासत के नामा 10 संख्या 863 दिनांक 6.8.2007 की प्रमाणित प्रति समस्त दस्तावेजो सहित कुल तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। ”</u> तहसीलदार बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आर.टी.आई/297 दिनांक 18.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2025 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार बौली के पत्रांक 604 दिनांक 25.2.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.01.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार बौली द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;"> (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>

